उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-01/2022-23

अजय भारती एवं अन्य

बनाम्

उर्मी घोष एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 28/10/22

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता अजय भारती, पे0—केशव भारती, सा0—नुनबट्टा, थाना—गोड्डा(मु0), वो शिवशंकर प्रसाद, पे0—स्व0 राम नारायण प्रसाद, सा0—बढ़ौना, थाना—गोड्डा नगर वो प्रकाश ठाकुर, पे0—श्यामाकांत ठाकुर, सा0—सैदापुर, थाना—गोड्डा (मु0), वो बबलू ठाकुर, पे0—सुरेश ठाकुर, सा0—दियारा, थाना—गोड्डा (मु0), जिला—गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0—49/2018—19 के आदेश दिनांक—12.11.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0—49/2018—19 के आदेश दिनांक—12.11.2021 के द्वारा अपीलकर्त्तागण को मौजा—बढ़ौना नं0—371, जमाबंदी सं0—33, दाग नं0—500 रकवा क्रमशः 00—01—10 धुर, 00—02—00 धुर, 00—01—00 धुर, 00—02—00 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उच्च स्तर के दबाब में आकर स्थानीय पदाधिकारी ने अपीलकर्त्तागण के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उच्छेदी की कार्रवाई की है। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्तागण को अपना—अपना कारण—पृच्छा दाखिल करने के लिए अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है और गलत तरीके से अपीलकर्त्तागण को मौजा—बढ़ौना के जमाबंदी सं0—500 के अंदर की जमीन से उच्छेद किया है। जबकि विषयगत जमीन के संबंध में स्वत्व वाद व्यवहार न्यायालय में लंबित है और स्वत्व वाद के लंबित रहते उच्छेदी की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। साथ ही उत्तरवादी उर्मी घोष जमाबंदी रैयत दशरथी कारफारमा के वैध उत्तराधिकारी नहीं है। जमाबंदी रैयत दशरथी कारफारमा की मृत्यु नावल्द हो

गयी है तथा उत्तरवादी उर्मी घोष विवाहित पुत्री है। उनका स्वत्व अभी स्पष्ट नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता अजय भारती सेना में है और वे काशमीर में पदस्थापित थे। जबकि उनकी पत्नि एवं नाबालिग बच्चे ग्राम–भारतीकीत्ता में अपने माता पिता के देख–रेख में थे। उनको नोटिश दिया जा सकता था। लेकिन नोटिश का तामिला नहीं कराया गया। इसी प्रकार शिवशंकर प्रसाद भी प्रखण्ड विकास कार्यालय के कर्मचारी है। उनको नोटिश नहीं दिया गया है तथा सुरेश ठाकुर एवं श्यामाकांत ठाकुर भी बाहर प्राइवेट काम में थे और उनको भी नोटिश नहीं दिया गया है। उनका आगे कथन है कि खतियान के अनुसार दाग नम्बर 500 की जमीन बाड़ी II की जमीन है और कृषि योग्य नहीं है बलकि महुआ का वृक्ष एवं झाड़ियॉ उसपर अवस्थित था। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 प्रभावित नहीं कर सकता है। साथ ही उक्त जमाबंदी के जमीन के सम्बंध में स्वत्व वाद भी लंबित है। निम्न न्यायालय ने उपरोक्त सारी तथ्यों पर विचार नहीं किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश के प्रारम्भ में ही उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता रतन दूबे (आर0एम0ए0 न0–6/2022–23), अपीलकर्त्ता अजय भारती एवं प्रकाश ठाकुर न्यायालय में उपस्थित हुए है तथा अपीलकर्त्ता शिवशंकर प्रसाद एवं बबलू ठाकुर के सम्बंध में उल्लेख है कि कई बार नोटिश देने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार निम्न न्यायालय में जानकारी के पश्चात भी हाजीर नहीं होना, यह दर्शाता है कि दोनों को कुछ नहीं कहना है और वे दोनों वर्तामान अपील में कुछ नहीं कह सकते है। क्योंकि Resjudicatta & Estoppel से बाधित है तथा निम्न न्यायालय में बहस के समय विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता ने सभी पक्षों के प्रतिनिधित्व की बात कही है। इसलिए भी अपीलकर्त्ता शिवशंकर प्रसाद एवं बबलू ठाकुर कुछ नहीं कह सकते है। उनका आगे कथन है कि मौजा बढ़ौना न0 371 जमाबंदी संख्या 33 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दशरथी कारफारमा वो दुर्गापदो कारफारमा पेसरान विशेश्वर कारफारमा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत दशरथी कारफारमा निसंतान फौत कर गये है। उत्तरवादी उर्मी घोष जमाबंदी रैयत दुर्गापदो कारफारमा की परपोती है। विषयगत जमीन उत्तरवादी की

पैतृक जमीन है। अपीलकर्त्तागण का कोई दावा सही नहीं है। सभी पक्षों को निम्न न्यायालय के द्वारा जरूरत से ज्यादा अवसर दिया गया है। उनका आगे कथन है कि वास्तव में राधारमण कारफारमा के वंशजों के बीच नाप जोख कर जमीन का बँटवारा नहीं हुआ था। उत्तरवादी उर्मी धोष राधारमण कारफारमा के बड़े पुत्र स्व0 अरूण कारफारमा की एकलौती पुत्री है। उर्मी धोष की माँ प्रोभा कारफारमा घर की बड़ी बहु है, किन्तु घर के शेष सदस्य यह कहकर कि स्व0 अरूण कारफारमा को कोर्ड पुत्र नहीं है, इसलिए हिस्सा नहीं दिया जाएगा लेकिन कुछ मौजा में आंशिक और मौखिक बँटवारा हुआ है परंतु सभी मौजा में नाप जोख कर बँटवारा नहीं होने के कारण उर्मी घोष की विघवा माता प्रोभा कारफारमा ने बँटवारा का मुकदमा टाईटल पार्टीशन सूट नम्बर 32/2014 दायर किया है, जो राधारमण कारफारमा के वंशजों के बीच श्रीमान् सब जज, गोड्डा के न्यायालय में लंबित है। अपीलकर्त्तागण लंबित बँटवारा वाद में पक्षकार नहीं है। इसलिए वर्तमान आर0ई0आर0 न0 49/2018–19 का आदेश अपीलकर्त्तागण को बँटवारा वाद से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। मौजा बढ़ौना न0 371, जमाबंदी संख्या 33 दाग नम्बर 500 रकवा 00–10–10 धुर जमीन पर उर्मी घोष का दखल एवं हक है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण वर्ष 2019 से 2021 तक उपस्थित नहीं हुए जबकि उनलोगों को जानकारी हो चुकी थी। तीन वर्षो तक निम्न न्यायालय के द्वारा समय दिया गया है। कोई भी दावा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय के द्वारा निष्कर्ष लिया गया कि विपक्षियों को कुछ नहीं कहना है और उसी के आलोक में निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्तागण को विषयगत जमीन से उच्छेद किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। विषयगत जमीन रैयती जमीन है और निम्न न्यायालय ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत विषयगत जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को

बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं सरकारी वकील के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बढ़ौना नम्बर 371, जमाबंदी संख्या 33 कुल रकवा 148–04–01 धुर जमीन दशरथी कारफारमा वो दुरगा पद. कारफरमा पे0 विशेश्वर कारफारमा के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्त्तागण का यह कथन कि वर्तमान अपीलकर्त्तागण को निम्न न्यायालय के द्वारा अपना–अपना कारण–पृच्छा दायर करने के लिए अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि निम्न न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता अजय भारती एवं प्रकाश ठाकुर न्यायालय में उपस्थित हुए है एवं मामला 2018 से 2021 तक निम्न न्यायालय में चला है। इस लंबी अवधि के दरम्यान अपीलकर्त्तागण के द्वारा निम्न न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा है। जहा तक अपीलकर्त्तागण का यह कथन कि स्वत्व वाद लंबित है। संलग्न कागजात से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागण उक्त स्वत्व वाद में पक्षकार नहीं है। इसलिए अपीलकर्त्तागण का यह कथन भी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। निम्न न्यायालय के साथ संलग्न अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विषयगत जमीन पर अपीलकर्त्तागण का दखल अवैध है। चुकि स्पष्ट है कि विषयगत दाग न0 500 कुल रकवा 02–01–11 धुर बाड़ी दोयम जमीन जो रैयती प्रकृति की जमीन है और रैयती जमीन का हस्तानतरण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरित है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश न0 49/2018–19 (अंचल अधिकारी,गोड्डा बनाम् रतन दूबे वगै0) में दिनांक 12.11.2021 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.03.04 11:53:15 +05:30
Location: 172.23.192.1

उपायुक्त,
गोड्डा

उपायुक्त,
गोड्डा